फर्द अहकाम

लालचन्द बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

पत्र: 324/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.08.2025	पत्रावली पेश हूई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सूनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम रामजीपुरावास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 136, 137, 147, 148, 149, 151, 156, 158, 159, 138, 139 कुल किता 11 कुल रकबा 5.29 है0 में से खसरा नम्बर 159 का सीमाज्ञान उपतहसीलदार बगरू के आदेश क्रमांकः भू0अ0/2025/739 दिनांक 25.04.2025 की पालना में दिनांक 15.05.2025 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष जरीब चलाकर खसरा नम्बर 159 रकबा 0.05 है0 की सीमाये कायम कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थीया व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 15.05.2025 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् बाबत् करवाये जाने पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर उपतहसीलदार बगरू को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम रामजीपुरावास नेवटा, पटवार हल्का नेवटा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 159 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 15.05.2025 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बंधित पुलिस थाना से इमदाद प्राप्त कर सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	